पत्रांकः–04/NULM-05/16......289....../न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पटना
श्री राजीव कुमार दास, संयोजक, SLBC
आंचलिक प्रबंधक,
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, आई0डी0बी0आई बैंक एवं यूनाईटेड कॉमर्शियल बैंक

पटना, दिनांक 29/01/19

विषयः– क्रेडिट लिंकेज तथा गृह ऋण उपलब्ध कराने के विषय पर दिनांक – 15.02.2019 को मध्याह्न 12.00 बजे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि DAY-NULM के प्रमुख घटक, स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत शहरी गरीबों को बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया जाता है। विगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस घटक के अंतर्गत मात्र 58.70%, जबकि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में दस महीने के व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक मात्र 32% की उपलब्धि हो पायी है। इसी प्रकार CLSS घटक के अंतर्गत 18 लाख तक की वार्षिक आमदनी वाले शहरी गरीबों को गृह ऋण उपलब्ध कराया जाना है। यह योजना 2015 से चल रही है, लेकिन तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी मात्र 1893 व्यक्तियों को ही गृह ऋण उपलब्ध कराया जा सका है। क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने एवं गृह ऋण पदान करने में बैंकों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है परन्तु बैंकों की उदासीन रवैये के कारण योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नही हो पा रही है।

इसलिए SEP के अंतर्गत शहरी गरीबों को बैंक से त्वरित क्रेडिट लिंकेज तथा CLSS योजनांतर्गत प्राथमिकता के आधार पर गृह ऋण उपलब्ध कराने के विषय पर दिनांक–15.02.2019 को मध्याह्न 12.00 बजे विभागीय प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में बैठक निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
29.1.19

विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।